

राज0 सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर
क्रमांक/ई/राजप/सू0अ0-05/एफ-385(15)/2017/ वास्ते
दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

विषय	सूचना के अधिकार अधिनियम-05 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त को वार्षिक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
संदर्भ	निदेशालय के पूर्व पत्रांक 1136 दिनांक 20.7.17 एवं 1072 दिनांक 14.7.17 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपको वार्षिक मुल्यांकन की प्रगति रिपोर्ट (आरटीआई) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से संकलित कर उनको इकजाई कर निदेशक (जन स्वा0) के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन आज दिनांक तक भी आप द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट निदेशक (जन स्वा0) को प्राप्त नहीं हुई है। यह आपका राजकार्य के प्रति घोर लापवाही को दर्शाता है। इस विलम्ब का कारण स्पष्ट करें एवं अग्रिम 03 दिवस के भीतर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।

विलम्ब के कारण पड़ने वाले किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही आपके विरुद्ध की जा सकती है।

लोक सूचना अधिकारी,
एवं
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर, राज0।

क्रमांक/ई/राजप/सू0अ0-05/एफ-385(15)/2017/ 1184
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक 2/8/17

1. श्रीमान उप पंजीयक, राज0 सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राज0 जयपुर।
2. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि वह उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी,
एवं
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर, राज0।

F385/15 वरिष्ठ रिटि...
15/08/17
29/6/17

DSC/Manu

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर-302017
(फोन एवं फैक्स नं० 0141-2719136)

दिनांक 3(1)/रा.सू.आ./वा. प्रति./2017/32230-32327 दिनांक :- 12/6/2017
विभाग - सचिव - स्वस्थ

विभागाध्यक्ष विभाग Dak No. 8508 Pr. Sec./M&H/2017
Date 23.6.17

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 की सूचना उपलब्ध कराने के काम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना है जिसके लिये धारा 25(3) के तहत समस्त लोक प्राधिकरणों को सूचना देना अनिवार्य है।

अतः निवेदन है कि निर्धारित प्रारूप-I व II में सूचना अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों से प्राप्त कर इन्हें आपके स्तर पर ही इकजाई करने के पश्चात् आयोग को 31 जुलाई, 2017 तक भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रारूप- 1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन

समयावधि वर्ष 2016-2017

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप- 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी..... विभागसमयावधि वर्ष 2016-2017

कुल प्राप्त अपीलें (संख्या)	निस्तारित		लम्बित (संख्या)
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1.	2.	3.	4.

नोट : कॉलम 1=2+3+4

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय
सचिव
राजस्थान सूचना आयोग,
जयपुर

urgent
SCLTB
28/6
28/6